न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर

सत्र परीक्षण संख्या–92 / 2026

सरकार बनाम सुभाष आदि

<u>निस्तारण प्रार्थना–पत्र 7ब अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0</u>

पत्रावली प्रार्थना–पत्र 7ब पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत। अभियुक्त सुभाष व्यक्तिगत रूप से समक्ष न्यायालय उपस्थित है। अभियुक्तगण राम भरोस, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार, राज कुमार व शनि कुमार की हाजिरी माफी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत, जो आज के लिए स्वीकृत।

आवेदक / अभियुक्त सुभाष की तरफ से प्रार्थना–पत्र 7ब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी व अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147,323,324,308,504, 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा चोटहिलों के शरीर पर किसी धारदार हथियार की चोट न पाए जाने के कारण धारा 324 भा0दं0सं0 को विलोपित कर दिया गया और प्रार्थी के विरुद्ध धारा 147,323,308,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत तथा अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147,323,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा फावड़ा से प्रहार कर शिवम को सिर पर चोट पहुॅचाई गई, जिससे वह अचेत हो गया तथा उसे उल्टी हुई। उक्त कथन असत्य है, क्योकि आहत शिवम को किसी अस्पताल में अचेत अवस्था में भर्ती नहीं कराया गया और उसके एक्सरे रिपोर्ट में कोई भी अस्थि भंग नहीं पाई गई। अभियोजन के समर्थन में प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध धारा 308 भा0दं0सं0 में आरोप केवल धारा 161 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन हैं, जो कि ठोस साक्ष्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ चोटें साधारण हों और मृत्यु की सम्भावना न हो, वहॉ धारा 308 भा0दं0सं0 का आरोप नहीं बनता। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, समस्त साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है तथा प्रकरण में धारा 308 भा0दं0सं0 के आवश्यक तत्वों का पूर्ण अभाव है। प्रार्थी के विरुद्ध धारा 308 भा0दं0सं0 का प्रथम दृष्ट्या कोई मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थी को धारा 308 भा0दं0सं0 के अपराध से उन्मोचित करके शेष धाराओं में विचारण हेतु पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापस प्रेषित की जाए।

अभियोजन की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता,फौजदारी व वादी की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 308 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा वादी की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक्

परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि संबंधित विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत प्रार्थी/अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध धारा 147,323,308,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत तथा अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147,323,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 14.10.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया है। तदोपरांत पत्रावली दिनांक 29.01.2026 को सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द की गई है।

पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 04.07.2023 को समय लगभग 18.28 बजे वादी मुकदमा फूलचन्द्र द्वारा थाना अकबरपुर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 04.07.2023 को समय लगभग 8.30 बजे प्रातः प्रार्थी की आबादी की भूमि पर गांव के ही राम भरोस, सुभाष, मनोज, राजकुमार, प्रमोद कुमार, शनि, अभिषेक व आर्यन जबरदस्ती कब्जा करने की नीयत से उस पर अवैध निर्माण करा रहे थे। प्रार्थी ने विरोध किया व 112 डायल पर फोन किया, पुलिस के आने के बावजूद भी उपरोक्त अवैध निर्माण जारी रखे। प्रार्थी व पुलिस वालों के मना करने पर उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थी को पुलिस के सामने अपने–अपने हाथों में लिए हुए फावड़ा, लाठी–डंडा व ईंट से जान से मारने की नीयत से मारने लगे। प्रार्थी के हल्ला गोहार पर प्रार्थी का पुत्र शिवम, पत्नी मुक्ता व भतीजा प्रेमचन्द्र, प्रार्थी को बचाने दौड़े तो विपक्षीगण उन्हें भी लाठी–डंडा व फावड़ा, कुदाल, ईंट–गुम्मा से जान से मारने की नीयत से मॉ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए मारने–पीटने लगे। हल्ला गोहार पर गांव के तमाम लोग आ गए, जिन्होंने घटना देखा व बीच बचाव किया, तो विपक्षीगण धमकी देते हुए चले गए। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध आहतगण के आघात प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आहत शिवम के शरीर पर कुल 7 चोटें पाई गई है,जिनमें चोट नं0–1 व 2 फटा घाव सिर के मध्य में, चोट नं0–3,4 व 6 खरोंच, चोट नं0–5 लालिमायुक्त नीलगू निशान व चोट नं0–7 दर्द की शिकायत की पाई गई है। आहत प्रेमचन्द्र सोनी के शरीर पर कुल 6 चोटं, जिनमें चोट नं0–1, 2, 3 व 4 फटा घाव, चोट नं0–5 व 6 लालिमायुक्त खरोंच की पाई गई, आहता मुक्ता के शरीर पर कुल 02 चोटें, जिनमें चोट नं0–1 लालिमायुक्त नीलगू निशान व चोट नं0–2 दर्द की शिकायत की पाई गई है। आहत फूलचन्द्र के शरीर पर कुल 04 चोटें पाई गई, जिनमें चोट नं0–1 फटा घाव, चोट नं0–2 व 4 लालिमायुक्त खरोंच व चोट नं0–3 दर्द की शिकायत की पाई गई। संबंधित चिकित्सक द्वारा आहत शिवम की चोट नं0–1 व 2 तथा आहत प्रेमचन्द्र की चोट नं0–1, 2 व 3 के एक्सरे की सलाह दी गई और चोटहिलों के सिर के एक्सरे हेतु जिला चिकित्सालय, अम्बेडकर नगर रिफर किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध आहतगण के एक्स–रे प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी आहत के सिर की हड्डी में टूटन पाये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि कि वादी द्वारा प्राथमिकी में आहत शिवम को बेहोश व उल्टी होने का कथन किया गया है किन्तु संबंधित चिकित्सक द्वारा आघात प्रतिवेदन व एक्सरे प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा चोटों की प्रकृति गम्भीर व प्राणघातक होने का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार संबंधित विवेचक द्वारा आघात आख्या व एक्सरे प्रतिवेदन का सम्यक् अवलोकन किए बिना धारा 308 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया जाना प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित होता है। इस प्रकार आहतों को आई चोटों व एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 308 भा0दं0सं0 का आरोप निर्मित नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र 7ब स्वीकार किए जाने योग्य है। अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध लगाई गई शेष धारायें 147,323,504,506 भा0दं0सं0 मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अतः पत्रावली संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को वापस प्रेषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 7ब स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त सुभाष को धारा 308 भा0दं0सं0 के आरोप से उन्मोचित किया जाता है तथा पत्रावली शेष धारा 147, 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विधि अनुसार परीक्षण हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को वापस प्रेषित की जाए। पत्रावली दिनांक 02.05.2026 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु पेश हो। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

दिनांक–23.04.2026

(चंद्रोदय कुमार)
सत्र न्यायाधीश
अम्बेडकर नगर